



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-13102025-266878
CG-TL-E-13102025-266878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4254]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947

No. 4254]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 25 सितम्बर, 2025

का.आ. 4373(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में विशेष रेलवे परियोजना, अकोला - खंडवा के निष्पादन लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितप्रद कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-विभागीय अधिकारी तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारी जलगांव जामोद, बुलढाणा जिला को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी उप-विभागीय अधिकारी तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारी जलगांव जामोद, बुलढाणा जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अपसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है;

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् अकोला और खंडवा के बीच आमान परिवर्तन कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

गाँव – खेल्लोन जामोद			तालुका : जलगांव जा.	जिला : बुलढाणा
क्रम सं.	भूमिधारक का नाम	गट सं.	7/12 के अनुसार भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	मामले का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सीताराम गनु दलाल	235	0.030	अकोला-खंडवा ब्रॉड गेज कन्वर्सन रेलवे परियोजना के अंतर्गत यात्री और माल परिवहन सुविधाएं मामला सं.एलएक्यू47/01/खेल्लोन जामोद/2025-26
	कुल		0.030	

गाँव – तुंकी खुर्द			तालुका : संग्रामपुर	जिला : बुलढाणा
क्रम सं.	भूमिधारक का नाम	गट सं.	7/12 के अनुसार भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	मामले का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	विजय महादेवराव घोरडे	24	0.400	अकोला-खंडवा ब्रॉड गेज कन्वर्सन रेलवे परियोजना के अंतर्गत यात्री और माल परिवहन सुविधाएं मामला सं.एलएक्यू47/02/तुंकी खुर्द/2025-26
	कुल		0.400	

गाँव – तुंकी बीके.			तालुका : संग्रामपुर	जिला : बुलढाणा
क्रम सं.	भूमिधारक का नाम	गट सं.	7/12 के अनुसार भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	मामले का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रमेश तुकाराम लोनकर	43	0.080	अकोला-खंडवा ब्रॉड गेज कन्वर्सन रेलवे परियोजना के अंतर्गत यात्री और माल परिवहन सुविधाएं मामला सं.एलएक्यू47/03/तुंकी बीके/2025-26
2	कोकिलाबाई जे.तोताराम लोनकर	22	0.040	
3	गजानन लक्ष्मण ज़ल्ले अर्जुन लक्ष्मण ज़ल्ले सुधाकर लक्ष्मण ज़ल्ले	72	0.150	
	कुल		0.270	

[फा. सं. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20E/250925]

हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-V

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, 25 September, 2025

S.O. 4373(E).— in exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred as in as the said Act), central government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the special railway project, Akola - Khandwa in Buldhana district in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of section 20D of the said act:

Every such objection shall be made to the competent authority , namely Sub- Divisional Officer & Land Acquisition officer Jalgaon Jamod, Buldhana district in writing and shall be set out the grounds there of and the competent authority Sub- Divisional Officer & Land Acquisition officer Jalgaon Jamod, Buldhana district shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by legal practitioner and may , after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary , by , order , either allow or disallow the objections

Any order made by the competent authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition - Akola-Khandwa Broad Gauge Conversion Railway Project Jalgaon Jamod, Dist-Buldhana for passenger and freight facility.

Village- Khellon Jamod		Taluka:-Jalgaon Ja		Dist:- Buldana
Sr. No.	Name Of Land Holder	Gut No.	Land Acquisition Area as per 7/12(Hectare)	Details of the case
1	2	3	4	5
1	Sitaram Ganu Dalal	235	0.030	passanger and Cargo Transportation facilities under Akola-Khandwa Broad gauge Conversion Railway Project Case No . LAQ47/01/Khellon Jamod/ 2025-26
	Total		0.030	

Description of lands in Acquisition - Akola-Khandwa Broad Gauge Conversion Railway Project Sangrampur, Dist-Buldhana for passenger and freight facility.

Village- Tunki Khurd		Taluka:-Sangrampur		Dist:- Buldhana
Sr.No.	Name Of Land Holder	Gut No.	Land Acquisition Area as per 7/12(Hectare)	Details of the case
1	2	3	4	5
1	Vijay Mahadevrao Ghorade	24	0.400	passanger and Cargo Transportation facilities under Akola-Khandwa Broad gauge Conversion Railway Project Case No . LAQ47/02/Tunki Khurd/ 2025-26
	Total		0.400	

Description of lands in Acquisition - Akola-Khandwa Broad Gauge Conversion Railway Project Sangrampur, Dist-Buldhana for passenger and freight facility.

Village- Tunki Bk.		Taluka:-Sangrampur		Dist:- Buldhana
Sr.No.	Name Of Land Holder	Gut No.	Land Acquisition Area as per 7/12(Hectare)	Details of the case
1	2	3	4	5
1	Ramesh Tukaram Lonkar	43	0.080	passanger and Cargo Transportation facilities under Akola-Khandwa Broad gauge Conversion Railway Project Case No . LAQ47/03/Tunki Bk./ 2025-26
2	Kokilabai J.Totaram Lonkar	22	0.040	
3	Gajanan Laxman Zalte Arjun Laxman Zalte Sudhakar Laxman Zalte	72	0.150	
	Total		0.270	

[F. No. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20E/250925]

HEMANT KUMAR BHAGORIA, Chief Engineer/Con-V